पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–सोनडी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. मखनसिह पुत्र गणेशाराम जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 गणेशाराम पुत्र बिशनाराम जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. दीपाराम पुत्र गणेशाराम जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. चरणसिह पुत्र गणेशाराम जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर
4. गिरदावरी पुत्र गणेशाराम जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर
5. मोनिका पुत्री कमला पुत्री गणेशाराम जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर
6. सुनील पुत्र कमला पुत्री गणेशाराम जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या सन 2018 निर्णय दिनांक–10.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 27/25 की 4.3010हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–सोनडी

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– सोनडी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : सन 2018

अनवान :–

1. मखनसिह पुत्र गणेशाराम जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. गणेशाराम पुत्र बिशनाराम जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. दीपाराम पुत्र गणेशाराम जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. चरणसिह पुत्र गणेशाराम जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर
4. गिरदावरी पुत्र गणेशाराम जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर
5. मोनिका पुत्री कमला पुत्री गणेशाराम जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर
6. सुनील पुत्र कमला पुत्री गणेशाराम जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नेरन्द्र कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 10.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 27/25 के खसरा न0 86/1 की 4.3010हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा बिशनाराम पुत्र माडुराम जाति धानक खातेदार काश्तकार थे। वादी के दादा बिशनाराम के देहान्त होने के बाद वादभूमि विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 वादी की बहन कमला के वारिस है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार कर निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ही हकदार है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों की ताईद में राजीनामा पेश किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तु रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के पिता गणेशाराम पुत्र बिश्नाराम के नाम से दर्ज है वादी का कथन है की वाद भूमि पैतृक सम्पति है पूर्व में वाद भूमि वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद वादी के पिता के नाम से दर्ज हुई जिसके कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हकों का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि में अन्होने अपने हकों का त्याग कर दिया है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों की ताईद में राजीनामा भी पेश किया जा चुका है वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति होने से वाद वादी काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 27/25 की 4.3010हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–सोनडी